राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी (बीएडीपी) की बैठक दिनांक 15.03.16 सांय 4.00 बजे का कार्यवाही विवरण

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सीमान्त क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत आयोजित राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक में शासन सचिव महोदय ने बैठक की अध्यक्षता कर रहे मुख्य सचिव महोदय के निर्देशों के उपरांत बैठक कार्यवाही को प्रारंभ करते हुये उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया एवं अवगत कराया कि केंद्र सरकार से योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में शतप्रतिशत आवंटित राशि रुपये 136.24 करोड़ प्राप्त कर लिये गये है एवं किसी भी किश्त में कोई कटौती नहीं हुयी जबकि पूर्व के वर्षों में अंतिम किश्त की कटौती होती रही है। इसके उपरांत वित्तीय वर्ष 2015–16 के आवंटन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिये तैयार की गयी वार्षिक कार्य योजना की जानकारी दी गयी ।

1 बीएडीपी योजना के दिशा निर्देशों में 0–10 एवं 10–20 किलोमीटर के क्षेत्र से आगे के क्षेत्र में कार्य लेने के लिये 0–10 एवं 10–20 किलोमीटर के क्षेत्र को सेचुरेटेड घोषित करना होगा इसके लिये डीएलसी अधिकृत है। मुख्य सचिव महोदय द्वारा जिला कलेक्टरों से सेचुरेशन की स्थिति के बारे में जानकारी ली गई, सम्बन्धित जिला कलक्टरों ने बताया कि अभी सेचुरेशन की स्थिति नहीं है, भविष्य में सेचुरेशन की स्थिति होने पर वांछित प्रमाण पत्र डीएलसी द्वारा भिजवाये जाने पर ही आगे के क्षेत्रों में क्रमशः कार्य लिये जा सकेंगे। वर्ष 2016–17 के लिये प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजना में जिलों द्वारा 0–20 कि.मी. के क्षेत्र में कार्य लिये गये है । योजना की मार्गदर्शिका के पैरा 2.1 के अनुसार 0–10 कि.मी. क्षेत्र का सेचुरेशन सर्टिफिकेट जारी किये जाने के उपरान्त आगे के क्षेत्र में कार्य लिये जा सकते है । अतः सम्बन्धित जिला कलक्टरों को डीएलसी द्वारा वांछित प्रमाण पत्र भिजवाने के निर्देश दिये गये ।

2 मुख्य सचिव महोदय द्वारा पूर्व वित्तीय वर्षों के अपूर्ण एवं अप्रारंभ कार्यों की समीक्षा की गयी। जिला गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर जिले में अप्रारंभ कार्यों की संख्या नगण्य है परन्तु बीकानेर जिले में 2014–15 के ही 88 कार्य अप्रारंभ हैं। मुख्य सचिव महोदय द्वारा कलक्टर बीकानेर को शीघ्र समीक्षात्मक रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया। 2015–16 में चारों जिलों में कुल 380 कार्य अप्रारंभ हैं जिसमें बीकानेर में सर्वाधिक 186 कार्य अप्रारंभ हैं, इसी प्रकार प्रगतिरत कार्यों की संख्या भी 489 है। यह अत्यन्त गंभीर स्थिति है जिसका बीकानेर जिला कलेक्टर तत्काल समाधान करें । श्रीमान मुख्य सचिव महोदय द्वारा सभी जिला कलेक्टरों एवं लाईन विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं शासन सचिव को शीघ्र ही अपूर्ण कार्यों की समीक्षा करने के निर्देश दिये गये एवं 30 जून 2016 तक सभी कार्यों को प्रारंभ कराने के निर्देश दिये गए एवं जिन कार्यों का भौतिक रूप से शुरू होना संभव नही है उन्हे निरस्त (desanction) करने की कार्यवाही की जावें।

3 मुख्य सचिव महोदय ने निर्देश दिये कि बीएडीपी योजना की मूल्यांकन रिपोर्ट का समुचित अध्ययन किया जावे एवं इस पर ठोस कार्यवाही की जावे।

4 शासन सचिव, पशुपालन विभाग ने योजना से जिला पशु चिकित्सालय एवं सब सेन्टरों के निर्माण बाबत राशि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में निवेदन किया मुख्य सचिव महोदय ने निर्देश दिये कि पशुपालन विभाग द्वारा बताये गये कार्यो हेतु प्रस्ताव शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग को प्रस्तुत किये जावें जिन्हे मुख्य सचिव महोदय के स्तर पर आरक्षित 2.5 प्रतिशत राशि मे से नियमानुसार स्वीकृत किया जा सकता है।

5 मुख्य सचिव महोदय ने निर्देश दिये कि योजना में काफी संख्या में उपयोगिता प्रमाण पत्र लम्बित है अतः सभी लाईन विभागो को निर्देश दिया गया कि लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्रों का निपटारा एक अभियान के तौर पर किया जावे जिसकी समय समय पर समीक्षा की जायेगी।

6 शासन सचिव महोदय ने कौशल एवं आजीविका विकास के मुद्दे पर चर्चा की जिसके परिपेक्ष्य में शासन सचिव महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने हेतु चारों जिलों में आवासीय प्रशिक्षण केंद्रों के निर्माण बाबत राशि 14 करोड़ (प्रति केंद्र 3.5 करोड़) की अनुमति केंद्र सरकार से प्राप्त हुअी है एवं यह स्वीकृति सिर्फ राजस्थान राज्य को ही मिली है इनका निर्माण राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा कराया जावेगा अतः अध्यक्ष महोदय ने राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम को शीघ्र कार्य प्रारम्भ करने बाबत समुचित निर्देश दिये।

7 शासन सचिव महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि क्रिटीकल गेप्स चिन्हीकरण एवं श्रीयोजना के आधार पर मॉडल विलेज विकसित करने हेतु एक स्पेशल प्रोजेक्ट केन्द्र सरकार को भेजा गया है जिसकी अनुमति शीघ्र मिलने की सम्भावना है एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 में भी मॉडल विलेज विकसित करने हेतु स्पेशल प्रोजेक्ट तैयार कर भारत सरकार को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।

8 अन्त में राज्य स्तरीय सकिनिंग कमेटी द्वारा वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन करते हुये मुख्य सचिव महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम एक मात्र शत प्रतिशत योगदान की केन्द्र प्रवर्तित योजना है अतः सभी कार्यकारी एजेन्सी समयबद्व रूप से कार्य करते हुये लंम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें ताकि योजना में शत प्रतिशत राशि आवंटित करवायी जा सके ।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुयी।

18/3/16

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–6)

क्रमांकः एफ.9(11)ग्रावि/अनु–6/BADP/SLSC/2015–16 जयपुर दिनांक 21 मार्च 2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राज. जयपुर ।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, नागरिक सुरक्षा, राज. जयपुर ।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा, राज. जयपुर ।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, राज. जयपुर ।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज. जयपुर ।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग/वित्त विभाग/कृषि विभाग/ऊर्जा विभाग, राज. जयपुर ।
7. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, गृह मन्त्रालय, भारत सरकार, उत्तर ब्लाक, नई दिल्ली।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं रोजगार विभाग/राजस्व उपनिवेशन सैनिक कल्याण/योजना एवं सूचना प्रोद्यौगिकी/पंचायती राज विभाग/महिला एवं बाल विकास विभाग/स्कूल शिक्षा/पशुपालन विभाग, राज. जयपुर ।
9. निजी सचिव, महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल, मण्डोर रोड़, जोधपुर ।
10. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (रेड़ा), राज. जयपुर।
11. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, कौशल एवं आजीविका विकास निगम, झालाना डूंगरी, जयपुर।
12. जिला कलक्टर, जालौर/बीकानेर/श्रीगंगानगर/बाड़मेर/जैसलमेर ।
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर/बाड़मेर/बीकानेर/जैसलमेर/जालौर
14. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, राज. जयपुर ।
15. प्रोग्रामर को वेबसाईट पर अपलोड़ करने बाबत् ।
16. रक्षित पत्रावली ।

21/3

(विजय कुमार चौधरी)
परियोजना निदेशक
पदेन उप सचिव (एसएपी)।।